13/04/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 उक्त वर्णित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानानुसार रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम धनावता पटवार हल्का इन्द्रपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 262, 263 कुल किता 2 कुल रकबा 2.2100 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें, इस बाबत् तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:27:29 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो तथा पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते अंतिम डिक्री तलब होकर पेश हो।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner